रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93

REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 1993/ज्येष्ठ 21, 1915
No. 201] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 1993/JYAISTHA 21, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय

(नागर विमानन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 1993

सा. का. नि. 452(अ).—वायुयान (संशोधन) नियम, 1993 का एक प्रारूप, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 14 की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 1 (ई) तारीख 1 जनवरी, 1993 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) तारीख 4 जनवरी, 1993 के पृष्ठ 1–2 पर प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां 22 जनवरी, 1993 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थी ।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप नियम के संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (द्वितीय संशोधन) नियम, 1993 है ।

(2) ये 1 जुलाई 1993 को प्रवृत्त होंगे ।

2. वायुयान नियम, 1937 में—

(i) नियम 47 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :—

"47क. अनुज्ञप्ति धारण के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता किसी व्यक्ति को तब तक अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी जब तक उसके पास अनुसूची 2 में अधिकथित शैक्षिक अर्हता न हो :

परन्तु यह कि ऐसे अभ्यर्थियों को जो इन नियमों को लागू होने की तारीख को या इससें पूर्व किसी उड़ान क्लब या संस्थान में प्रशिक्षण के लिये पहले से अभ्यावेशित है, इस नियम से छूट प्राप्त होगी ।

(ii) अनुसूची 2 में,—

(क) धारा घ, ङ, च, म, ढ, ण, त और थ में पैरा 1 के उप-पैरा (क) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क) शैक्षिक अर्हता—उसने किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान और गणित के साथ 10 + 2 या समतुल्य परीक्षण उत्तीर्ण की हो ।"

(ख) धारा त में पैराग्राफ 1 में, उप-पैराग्राफ (ग) हटा दिया जाएगा ।

[फा. सं. एवी 11012/9/91-अ]
एस. कृष्णामूर्ति, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण

मूल नियम भारत के राजपत्र भाग 1 तारीख 27 मार्च 1937 में अधिसूचना सं. वी–26 तारीख 23 मार्च, 1937 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा उसके पश्चात् निम्न अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया ।

(1) सा.का.नि. सं. 1238 दिनांक 8-9-1962
(2) सा.का.नि. सं. 881 दिनांक 6-6-1964
(3) सा.का.नि. सं. 129 दिनांक 16-1-1965
(4) सा.का.नि. सं. 711 दिनांक 3-5-1965
(5) सा.का.नि. सं. 182 दिनांक 17-1-1969
(6) सा.का.नि. सं. 1045 दिनांक 21-4-1969
(7) सा.का.नि. सं. 411 दिनांक 15-3-1971
(8) सा.का.नि. सं. 1235 दिनांक 1-12-1984
(9) सा.का.नि. सं. 292 (ई) दिनांक 23-3-1985
(10) सा.का.नि. सं. 471 (ई) दिनांक 1-6-1985

MINISTRY OF CIVIL AVIATION & TOURISM

(Department of Civil Aviation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 1993

G.S.R. 452(E).—Whereas the draft of the Aircraft (Amendment) Rules, 1993 was published as required by section 14 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934) at pages 1-2 of the Gazette of India, Part II, Section 3 Sub-section (i) dated the 4th January, 1993 with the notification of the Government of India in the Ministry of Civil Aviation and Tourism No. GSR 1(E) dated the 4th January, 1993 invisting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby;

And whereas the copies of the said notification were made available to the public on 22nd January, 1993;

And whereas no objections and suggestions were received on the said draft rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 5 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, namely :—

1. (1) These rules may be called the Aircraft (Second Amendment) Rules, 1993.

(2) They shall come into force on the 1st day of July, 1993.

2. In the Aircraft Rules, 1937 —

(1) after rule 47, the following rule shall be inserted, namely :—

"47A. Minimum educational qualification for holding a licence—No person shall be granted a licence unless he possesses the educational qualification as laid down in Schedule II :

Privided that candidates already enrolled for training on or before the coming into force of these rules with flying club or institution shall be exempted from application of this rule."

(2) In Schedule II, —

(a) after sub-paragraph (a) of paragraph 1 of sections D, E, F, M, N, O, P, and Q, the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

"(aa) Educational Qualification—He/She shall have passed 10+2 or equivalent examination with Physics and Mathematics from a recognised Board or University.

(b) in section P, in paragraph 1, sub-paragraph (c) shall be omitted.

[F. No. AV. 11012/9/91-A]
S. KRISHNA MOORTHY, Jt. Secy.

FOOT NOTE : The Principal Rules were published vide notification No. V-26 dated 23rd March, 1937 in the Gazette of India, Part I dated 27th March, 1937 and subsequently amended vide Gazette Notification :

(1) No. GSR 1238 dated 8-9-1962
(2) No. GSR 881 dated 6-6-1964.
((3) No. GSR 129 dated 16-1-1965
(4) No. GSR 711 dated 3-5-1965
(5) No. GSR 182 dated 17-1-1969
(6) No. GSR 1045 dated 21-4-1969
(7) No. GSR 411 dated 15-3-1971
(8) No. GSR 1235 dated 1-12-1984
(9) No. GSR 292(E) dated 23-3-1985
(10) No. GSR 471(E) dated 1-6-1985

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993